# श्री गा0 गुलाम रसूल, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या--01/200/675(138) से उद्भूत आश्वासन सं0--02/200 का अद्यतन प्रतिवेदन

| क्र0 | प्रश्न | आश्वासन | अद्यतन प्रतिवेदन |
|---|---|---|---|
| (क) | मंत्री, जल ससाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--<br>क्या यह सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ए.एम.यू. किशनगंज सेंटर एवं किशनगंज पुलिस लाइन को महानन्दा नदी के कटाव एवं बाढ से बचाने हेतु निर्माधीन बांध का कार्य तीन वर्षों से लंबित है; | वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, किशनगंज इकाई एवं प्रस्तावित पुलिस लाईन को महानंदा नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कटाव निरोधक कार्य को जून 2017 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में परिवाद दायर होने के कारण दिनांक-- 01.07.2017 से ही बन्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक--3243 दिनांक 04.09.2021 एवं पत्रांक 296, दिनांक 02.08.2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) को अनुशंसा के साथ कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दिये जाने से संबंधी अनुरोध किया गया है एवं पत्रांक 745 दिनांक 02.03.2022 द्वारा स्मारित भी किया गया है। इस संबंध में यथाआवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से इस संबंध में अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ करने संबंधी कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर इसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। | वस्तुस्थिति यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, किशनगंज इकाई एवं प्रस्तावित पुलिस लाईन को महानंदा नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कराये जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता में परिवाद दायर होने के कारण जुलाई 2017 से बन्द है।<br>राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक--3243 दिनांक 04.09.2021 एवं पत्रांक 296 दिनांक 02.08.2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को अनुशंसा के साथ कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दिये जाने से संबंधी अनुरोध किया गया है एवं पत्रांक 745 दिनांक 02.03.2022 द्वारा स्मारित भी किया गया है।<br>इस क्रम में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.02.2022 को मामले पर निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव अध्यक्ष, संयुक्त समिति--सह-- आयुक्त, बाढ़ प्रबंधन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजा गया है।<br>इस संबंध में यथाआवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से इस संबंध में अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ करने संबंधी कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर इसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। |
| (ख) | यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लंबित बांध का निर्माण शीघ्र ही कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों? | | |

(P.T.O)

# बिहार सरकार
## जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–08 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 200वें सत्र में उनके ज्ञापांक–34(6) दिनांक–23.03.2022 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01 / 200 / 675 (138) से उदभूत आश्वासन सं0–02 / 200 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–08 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–08 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–08 / 2026– 4444 पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06/10/26